

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 अप्रैल, 2023

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-5/2023-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकरण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 5) को दिनांक 03-04-2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकरण अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धारा:

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय-2

जल-विद्युत उत्पादन इकाई के प्रतिष्ठापन द्वारा जल का उपयोग

3. जल के उपयोग हेतु योजना का प्रतिष्ठापन ।
4. उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का प्रस्तुतीकरण ।
5. आवेदन की स्वीकृति ।
6. उपयोगकर्ता को सूचना ।
7. जल के उपयोग हेतु रजिस्ट्रीकरण ।
8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना ।
9. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा निषिद्ध कतिपय बातें ।
10. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्तव्य, बाध्यताएं और उत्तरदायित्व ।
11. नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्थाएं ।

अध्याय-3

उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण

12. उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण ।
13. प्रवाह मापन उपकरण या किसी फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना ।
14. प्रवाह मापन उपकरणों में कपट ।

अध्याय-4
जल उपकर

15. जल उपकर का नियतन ।
16. जल उपकर की वसूली ।
17. निर्धारण हेतु प्रक्रिया ।

अध्याय-5
राज्य आयोग

18. आयोग की स्थापना ।
19. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।
20. खोज समिति का गठन ।
21. पद की अवधि और सेवा की शर्तें ।
22. अध्यक्ष या सदस्य का हटाया जाना ।
23. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

अध्याय-6
आयोग की शक्तियां, कृत्य और लेखे

24. आयोग के कृत्य ।
25. आयोग की शक्तियाँ ।
26. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां ।
27. प्रवेश और जब्त करने की शक्ति ।
28. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
29. आयोग के निर्देशों के अननुपालन के लिए शास्ति ।
30. न्याय निर्णयन की शक्ति ।
31. न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक ।
32. अन्य दायित्वों पर शास्ति प्रभावहीन ।
33. सरकार द्वारा अनुदान और ऋण ।
34. सरकार द्वारा निधि की स्थापना ।
35. आयोग के लेखे ।
36. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट ।
37. आयोग का बजट ।

अध्याय-7
प्रकीर्ण

38. सरकार द्वारा निर्देश ।
39. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
40. सदस्य, अधिकारी इत्यादि का लोक सेवक होना ।
41. अधिनियम के उपबन्धों का अन्य विधियों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण में होना ।
42. नियम बनाने की शक्ति ।
43. आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां ।
44. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।
45. अध्यारोही प्रभाव ।

हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 3 अप्रैल, 2023 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर उदगृहित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 है।

(2) यह दस मार्च, 2023 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर हेतु स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "जल-विद्युत" से, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत अभिप्रेत है जो राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी जल स्रोत से निकाले गए जल के उपयोग से विद्युत उत्पादन करते हैं;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और पद "अधिसूचित करना" तदनुसार अर्थान्वित किया जाएगा;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) "उपयोगकर्ता" से जल-विद्युत के उत्पादन के लिए किसी स्रोत से जल निकालने वाला कोई व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग, कम्पनी, निगम, सोसाइटी या कोई निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(ज) "जल" से किसी नदी, जलधारा, सहायक नदी, नहर, नाले में बहने वाला प्राकृतिक संसाधन या कोई अन्य प्राकृतिक जल मार्ग या किसी भूमि की सतह पर बना जैसे तालाब, झील, दलदल या झरना अभिप्रेत है;

- (झ) "जल उपकर" से विद्युत उत्पादन के लिए निकाले गए जल हेतु इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित या प्रभारित दर अभिप्रेत है; और
- (ञ) "जल स्रोत" से कोई नदी और इसकी सहायक नदियां, जलधारा, नाला, नहर, नदी, तालाब, झील, जलस्रोत या कोई अन्य स्रोत अभिप्रेत है, जिनसे जल-विद्युत उत्पादन हेतु जल निकाला जाता है।

अध्याय-2

जल-विद्युत उत्पादन इकाई के प्रतिष्ठापन द्वारा जल का उपयोग

3. **जल के उपयोग हेतु योजना का प्रतिष्ठापन.**—(1) कोई उपयोगकर्ता इस अधिनियम के अनुसार के सिवाय, जल-विद्युत उत्पादन हेतु किसी स्रोत से जल नहीं निकालेगा।

(2) कोई उपयोगकर्ता इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकृत होने के सिवाय, जल-विद्युत उत्पादन हेतु किसी अन्य जल स्रोत के जल के उपयोग (गैर-क्षयकारी उपयोग) के लिए अपेक्षित योजना प्रतिष्ठापित नहीं करेगा।

4. **उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का प्रस्तुतीकरण.**—कोई उपयोगकर्ता, जो जल-विद्युत के उत्पादन के प्रयोजन हेतु जल के उपयोग (गैर-क्षयकारी उपयोग) की आवश्यकता के लिए योजना प्रतिष्ठापित करना चाहता है, वह, यथास्थिति, निदेशक, ऊर्जा या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से स्वीकृत योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन फीस सहित ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए प्रस्तुत करेगा।

5. **आवेदन की स्वीकृति.**—किसी उपयोगकर्ता से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् आयोग इस अधिनियम के अधीन आवेदन को स्वीकार किए जाने के लिए विचार करेगा।

6. **उपयोगकर्ता को सूचना.**—धारा 5 के अधीन आयोग द्वारा योजना स्वीकार कर लेने के पश्चात् आयोग योजना को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उपयोगकर्ता को सूचित करेगा कि वह—

(क) ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, आयोग के साथ करार निष्पादित करे; और

(ख) जल उपकर का संदाय करे, जैसा इस अधिनियम के अध्याय-4 के अधीन नियत किया जाए।

7. **जल के उपयोग हेतु रजिस्ट्रीकरण.**—कोई व्यक्ति जल का अपेक्षित उपयोग या जल का किसी अन्य रीति से उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह धारा 8 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न हो।

8. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना.**—जल-विद्युत उत्पादन हेतु जल के उपयोग (गैर-क्षयकारी उपयोग) के इच्छुक उपयोगकर्ता को इस अधिनियम के अधीन उपयोगकर्ता और आयोग के मध्य करार निष्पादित किए जाने के पश्चात् एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

9. **रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा निषिद्ध कतिपय बातें.**—कोई भी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना—

- (क) किसी अन्य उपयोगकर्ता की उपयोगिता को क्रय या अधिगृहित करने या अन्यथा द्वारा अर्जित करने के लिए कोई संव्यवहार नहीं करेगा; या
- (ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य उपयोगकर्ता की उपयोगिता के साथ विलयन नहीं करेगा; या
- (ग) विक्रय, पट्टे, विनिमय या अन्यथा द्वारा उसकी रजिस्ट्रीकरण या उसकी उपयोगिता को या इसके किसी भाग को समनुदेशित या अंतरित नहीं करेगा।

10. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्तव्य, बाध्यताएं और उत्तरदायित्व.—(1) रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जल-विद्युत उत्पादन के लिए निकाले गए जल के लिए जल उपकर संदाय करने का दायी होगा।

(2) जहां अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व जल-विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किसी उपयोगकर्ता ने जल-विद्युत योजना का निर्माण किया है वहां ऐसा उपयोगकर्ता, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से एक मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा तथा आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आदेश पारित करेगा।

(3) यदि उपधारा (2) में यथा उल्लिखित उपयोगकर्ता, इसमें नियत समय में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने में असफल रहता है, तो आयोग तत्काल बिना रजिस्ट्रीकरण के इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए जल उपयोग के आंकड़ों के आधार पर उपयुक्त शास्ति जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी तथा निरंतर चूक की दशा में अतिरिक्त जुर्माना, जो पांच हजार रुपए प्रतिदिन तक हो सकेगा सहित जल उपकर अधिरोपित करेगा।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, योजना के प्रचालन के अधीन क्षेत्र के निवासियों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दायित्व के अधीन होगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता किसी भी समय योजना क्षेत्र के भीतर प्रवेश हेतु आयोग या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को उनके समाधान हेतु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में अनुमति देने के लिए आबद्ध करेगा।

11. नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्थाएं.—आयोग, उपयोगकर्ता को लिखित में नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगा कि वह आयोग के समाधान हेतु और प्रक्रिया के अनुसार तथा ऐसे अन्तराल पर, जैसे आयोग द्वारा योजना हेतु विनिर्दिष्ट करे किसी विशेषज्ञ द्वारा आवधिक निरीक्षण करवाये।

अध्याय—3

उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण

12. उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण.—(1) आयोग द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार, आयोग योजना के परिसर के भीतर या ऐसे अन्य स्थान पर जहां आयोग उचित समझे जल-विद्युत उत्पादन हेतु निकाले गए जल के मापन के प्रयोजनों से प्रवाह मापन उपकरण प्रतिष्ठापित करेगा या कराएगा या उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल के निर्धारण हेतु कोई अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकेगा।

- (2) ऐसे प्रतिष्ठापन पर उपगत व्यय उपयोगकर्ता द्वारा संदेय होगा।

13. **प्रवाह मापन उपकरण या किसी फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना.**—कोई भी व्यक्ति किसी जल मापन उपकरण या उपकरण की किसी फिटिंग को जानबूझकर क्षतिग्रस्त नहीं करेगा या कराएगा। उपयोगकर्ता तत्काल क्षतिग्रस्त उपकरण को अपने खर्चे पर बदलने के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसा न होने पर ऐसे उपयोगकर्ता पर पचास हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

14. **प्रवाह मापन उपकरणों में कपट.**—कोई भी व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से—

- (क) प्रवाह मापन उपकरण के सूचकांक में परिवर्तन नहीं करेगा या आपूर्ति किए गए जल की वास्तविक मात्रा को रिकार्ड करने से नहीं रोकेगा; या
- (ख) रिकार्ड करने के प्रयोजन से लगाए गए मापन उपकरण द्वारा रिकार्ड किए जाने से पहले जल नहीं निकालेगा; या
- (ग) मापन उपकरण से छेड़छाड़ नहीं करेगा, छेड़छाड़ किए गए उपकरण को प्रतिष्ठापित या उसका उपयोग नहीं करेगा; या
- (घ) किसी ऐसे अन्य उपकरण या पद्धति का उपयोग नहीं करेगा जो आपूर्ति किए गए जल के सही या उचित रजिस्ट्रीकरण, अंशशोधन या मीटरिंग में व्यवधान डालता हो।

अध्याय —4

जल उपकर

15. **जल उपकर का नियतन.**—(1) उपयोगकर्ता ऐसी दर से, जैसी सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे, जल उपकर का संदाय किए जाने हेतु दायी होगा।

(2) इस धारा के अधीन नियत जल उपकर की दरें राज्य सरकार समय-समय पर ऐसी रीति में पुनरीक्षित, परिवर्धित, कम या अन्तरित कर सकेगी, जैसी यह उचित समझे।

16. **जल उपकर की वसूली.**—आयोग, जल-विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगकर्ता द्वारा जब कभी जल निकाला जाएगा तब प्रत्येक उपयोगकर्ता से राज्य सरकार द्वारा नियत दरों के अनुसार जल उपकर वसूल करेगा।

17. **निर्धारण हेतु प्रक्रिया.**—(1) जल-विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण और उसके जल उपकर की संगणना आयोग द्वारा की जाएगी।

(2) उपयोगकर्ता आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन यथा निर्धारित जल उपकर का संदाय करेगा।

(3) यदि कोई उपयोगकर्ता, उस पर देय जल उपकर का संदाय नहीं कर पाता है तो उस पर आयोग द्वारा यथा अवधारित शास्ति अधिरोपित की जाएगी। उपयोगकर्ता को जल उपकर का विस्तारित अवधि के भीतर शास्ति सहित जल उपकर संदाय करना होगा, जैसा विहित किया जाए।

अध्याय—5

राज्य आयोग

18. आयोग की स्थापना.—(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकरण हेतु राज्य आयोग के नाम से ज्ञात आयोग की स्थापना कर सकेगी:

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन आयोग की स्थापना होने तक सचिव (जल-शक्ति), हिमाचल प्रदेश, सरकार आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित आयोग पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी, इसके पास चल और अचल संपत्ति दोनों के प्राप्त करने, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा।

(4) आयोग में एक अध्यक्ष और चार से अनधिक सदस्य होंगे।

(5) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 20 की उपधारा (1) में संदर्भित खोज समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

19. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—(1) अध्यक्ष की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जो या तो राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अन्यून का पद धारण कर रहे हो या जिन्होंने धारण किया हो।

(2) आयोग के सदस्य, योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, विधि या प्रबन्धन के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष या इससे अधिक सुसंगत अनुभव है:

परन्तु यह कि इन व्यक्तियों में से कम से कम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता या उसके समतुल्य की पंक्ति से अन्यून पद धारण कर रहा हो या जिन्होंने धारण किया हो और जल-विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव रखता हो, नियुक्त किया जाएगा;

(3) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे।

(4) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(5) आयोग के पास उसके अधीन सहायता हेतु समुचित संरचना होगी, जैसी सरकार द्वारा विहित की जाए।

20. खोज समिति का गठन.—(1) सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के प्रयोजनों के लिए, एक खोज समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

(क) मुख्य सचिव — अध्यक्ष;

(ख) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार — सदस्य;

(ग) सचिव (बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा),
हिमाचल प्रदेश सरकार। — सदस्य;

(घ) सचिव (जल शक्ति), हिमाचल प्रदेश सरकार — सदस्य; और

(ङ) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार — सदस्य;

(2) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग-पत्र या हटाए जाने के कारण रिक्ति होने की तारीख से एक माह के भीतर तथा अध्यक्ष या किसी सदस्य की अधिवर्षिता या कार्यकाल समाप्त होने से छः मास पूर्व रिक्ति भरने के लिए खोज समिति को संदर्भित करेगी।

(3) खोज समिति, उस तारीख जिस को इसे संदर्भित किया गया है से दो मास के भीतर अध्यक्ष या सदस्यों के चयन को अन्तिम रूप देगी।

(4) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व खोज समिति अपना समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उस के कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

21. पद की अवधि और सेवा की शर्तें.—(1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु पद धारण करेंगे:

परन्तु यह कि अध्यक्ष या कोई सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए:

परन्तु यह कि अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें उन की नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे।

(3) अध्यक्ष और सदस्य अपना पद धारण करने से पूर्व ऐसे प्ररूप पर तथा ऐसी रीति में, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, जैसी विहित की जाए।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को कम से कम तीन मास का नोटिस लिखित में देकर अपना पद त्याग सकेंगे।

(5) इस पद पर न बने रहने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(क) उस पद को धारण करने से वंचित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक सरकार के अधीन किसी और नियुक्ति के लिए प्रात्र नहीं होगा; और

(ख) जल-विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित परियोजना या योजना इत्यादि में कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

22. अध्यक्ष या सदस्य का हटाया जाना.—(1) अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर इस प्रकार नहीं बना रहेगा, यदि वह:

(क) सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध सिद्धदोष हो; या

(ग) इस रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिए हों जो कि आयोग में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हों।

(2) जहां यह प्रश्न उठता हो कि यदि अध्यक्ष या सदस्य इस प्रकार कृत्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गये हों या उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित, जो आयोग में उसके कृत्य पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव डाल सकेगा, तो इस विषय में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसका आदेश अन्तिम होगा।

(3) यदि सरकार की राय में अध्यक्ष या किसी सदस्य को निलम्बित करने के उचित और पर्याप्त कारण हैं और उसके हटाए जाने हेतु कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गई हैं तो सरकार आयोग के अध्यक्ष और किसी सदस्य को निलम्बित कर सकेगी :

परन्तु ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित है, को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

23. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी.—(1) आयोग का एक सचिव होगा, जो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे विहित किए जाएं।

(2) सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को सहायता करने के लिए आवश्यक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, स्वरूप और श्रेणियां ऐसी होगी जैसी विहित की जाएं।

(4) सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

(5) आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों जैसे विहित किए जाएं पर उपयोगकर्ताओं द्वारा निकाले गए जल के निर्धारण और अन्य तकनीकी क्रियाकलापों के लिए अभियंता और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारिवृन्द लगा सकेगा।

अध्याय—6

आयोग की शक्तियां, कृत्य और लेखे

24. आयोग के कृत्य.—आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात:—

(क) अधिनियम के अधीन जारी निर्णयों और आदेशों का प्रवर्तन करना;

(ख) जल उपकर से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करना;

(ग) शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करना;

(घ) जल-विद्युत उत्पादन हेतु निकाले गए जल के प्रवर्तन, मॉनिटरिंग और मापन हेतु प्रणाली की स्थापना करना; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं।

25. आयोग की शक्तियां।—(1) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या कोई कार्यवाही आरम्भ करने के प्रयोजन हेतु आयोग के पास वे ही शक्तियां होंगी जो कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात्:—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य तात्विक वस्तु का प्रकटीकरण और प्रस्तुतिकरण;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की अध्यपेक्षा;

(ङ) साक्षियों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना;

(च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना; और

(छ) अन्य कोई मामला, जो विहित किया जाए।

(2) आयोग के पास, उसके समक्ष किसी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में जैसा वह उचित समझे वैसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी।

(3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति को जिसे यह उचित समझे रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

26. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां।—आयोग के समक्ष समस्त कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193, 214 और 228 के अर्थात्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझा जाएगा तथा आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

27. प्रवेश और जब्त करने की शक्ति।—आयोग या कोई राजपत्रित अधिकारी जिसे आयोग द्वारा विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, ऐसे किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि जांच के मामले के विषय से संबंधित दस्तावेज पाया जा सकता है ऐसे किसी दस्तावेज को वह अभिगृहीत कर सकेगा या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के उपबन्धों के अधीन उसकी प्रतियां निकाल सकेगा।

28. शक्तियों का प्रत्यायोजन।—आयोग, अध्यक्ष, किसी सदस्य, सचिव, आयोग के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन इसकी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तें, यदि कोई हैं, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन धारा 24 के अधीन विवादों के न्याय-निर्णय की शक्तियों के सिवाय और धारा 43 के अधीन विनियम बनाने की शक्तियां जैसा वह आवश्यक समझे को, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

29. आयोग के निर्देशों के अननुपालन के लिए शास्ति।—यदि आयोग का किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि किसी उपयोगकर्ता ने इस अधिनियम या नियमों या विनियमों या आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है या आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन नहीं किया है, तो, आयोग ऐसे उपयोगकर्ता को मामले में सुनवाई का

अवसर देने के पश्चात्, किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लिखित में आदेश दे सकेगा, कि वह इस अधिनियम के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा और ऐसा उपयोगकर्ता शास्ति के रूप में ऐसी राशि का संदाय करेगा, जो दस लाख रुपये तक होगी और ऐसी शास्ति के संदाय में निरन्तर चूक की दशा में अतिरिक्त जुर्माना, ऐसे आदेश की तारीख से जो पांच हजार रुपये प्रतिदिन तक हो सकेगा ।

30. न्याय निर्णयन की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के अधीन न्याय—निर्णय के प्रयोजन के लिए आयोग, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन हेतु सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपने किसी सदस्य को ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, कोई जांच करने हेतु न्याय—निर्णयन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा ।

(2) जांच करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी के पास साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को बुलाने और हाज़िर करने की शक्ति होगी जो न्याय निर्णायक अधिकारी की राय में जांच के मामले में उपयोगी या सुसंगत हो सकेंगे तथा यदि ऐसी जांच में वह इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुपालन में असफल रहा है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के तीस दिन के भीतर आयोग के समक्ष अपील कर सकेगा:

परन्तु आयोग सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त सदस्य ऐसी अपील दायर करने से पूर्व आयोग की पीठ का भाग नहीं होगा ।

(4) आयोग द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा ।

31. न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक.—धारा 29 के अधीन शास्ति की मात्रा अधिनिर्णीत करते समय न्याय—निर्णायक अधिकारी निम्नलिखित कारकों का उचित ध्यान रखेगा:—

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप जहां कहीं मात्रात्मक हो वहां गैर—आनुपातिक प्राप्ति या अनुचित लाभ की राशि; और

(ख) व्यतिक्रम का पुनरावृत्ति स्वभाव ।

32. अन्य दायित्वों पर शास्ति प्रभावहीन.—इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति प्रतिपूर्ति के संदाय के संबंध में कोई अल्पीकरण न होकर किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त होंगे ।

33. सरकार द्वारा अनुदान और ऋण.—सरकार, इस निमित्त राज्य विधान मंडल द्वारा सम्यक् रूप से किए गए विनियोग के पश्चात् आयोग को ऐसी राशि के अनुदान और ऋण प्रदान कर सकेगी जैसी सरकार आवश्यक समझे ।

34. सरकार द्वारा निधि की स्थापना.—(1) एक निधि की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर आयोग निधि होगा और इसमें निम्नलिखित राशियों को जमा किया जाएगा:—

- (क) सरकार द्वारा आयोग को दिए गए कोई अनुदान और ऋण;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्राप्त समस्त फीस ;
- (ग) ऐसे अन्य स्रोत जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं से आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां ।

(2) इस निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:—

- (क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;
 - (ख) इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्य के निर्वहन हेतु उपगत व्यय;
 - (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय ।
- (3) सरकार, उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए निधि के अनुप्रयोग की रीति विहित कर सकेगी ।

35. आयोग के लेखे.—(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा लेखे के वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप तथा रीति में तैयार करेगा जैसी विहित की जाए ।

(2) आयोग के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और सरकार इसे प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी ।

36. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.—(1) आयोग ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर जैसी विहित की जाए, पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को अग्रेषित की जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति इसकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी ।

37. आयोग का बजट.—आयोग अगले वित्त वर्ष के लिए अपना बजट ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर तैयार करेगा जैसा विहित किया जाए, जिसमें आयोग को अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाए जाएंगे तथा इसे सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

अध्याय-7
प्रकीर्ण

38. सरकार द्वारा निर्देश.—(1) अपने कृत्य के निर्वहन हेतु आयोग जनहित की नीति संबन्धी मामलों पर ऐसे दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा, जैसे राज्य सरकार द्वारा दिए जाएं ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या किसी दिशा-निर्देश में जनहित से संबंधित मामला है या नहीं तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

39. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के विरुद्ध आयोग के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी या लोक सेवक पर कोई वाद, अभियोजन या कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाएगी।

40. सदस्य, अधिकारी इत्यादि का लोक सेवक होना.—आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, का जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसा तात्पर्यित कार्य करना भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अर्थातर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

41. अधिनियम के उपबन्धों का अन्य विधियों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण में होना.—इस अधिनियम के उपबन्धों का राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में हैं।

42. नियम बनाने की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य—शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था यह शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमन्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

43. आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां.—(1) आयोग सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिनियम के उपबन्धों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

(3) सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम इसके बनने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

44. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

45. अध्यारोही प्रभाव.—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के असंगत होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

46. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अध्यादेश, 2023 (2023 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**THE HIMACHAL PRADESH WATER CESS ON HYDROPOWER
GENERATION ACT, 2023**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II

**USAGE OF WATER BY INSTALLATION OF HYDROPOWER
GENERATING UNIT**

3. Installation of scheme for usage of water.
4. Submission of sanctioned scheme for usage of water by the user.
5. Acceptance of application.
6. Information to the user.
7. Registration for usage of water.
8. Grant of registration certificate.
9. Registered user not to do certain things.
10. Duties, obligations and responsibilities of the registered user.
11. Control and safety provisions.

CHAPTER-III

ASSESSMENT OF WATER DRAWN BY USER

12. Assessment of water drawn by user.
13. Damaging the flow measuring device or any fitting.
14. Fraud in respect of flow measuring devices.

CHAPTER-IV

WATER CESS

15. Fixation of water cess.

16. Recovery of water cess.
17. Procedure for assessment.

CHAPTER-V
STATE COMMISSION

18. Establishment of the Commission.
19. Qualifications for appointment of Chairperson and members of the Commission.
20. Constitution of a Search Committee.
21. Term of office and conditions of service.
22. Removal of Chairperson or member.
23. Officers and other employees of the Commission.

CHAPTER-VI
POWERS, FUNCTIONS AND ACCOUNTS OF THE COMMISSION

24. Functions of the Commission.
25. Powers of the Commission.
26. Proceedings before the Commission.
27. Power of entry and seizure.
28. Delegation of powers.
29. Penalty for non-compliance of directions of Commission.
30. Power to adjudicate.
31. Factors to be taken into account by adjudicating officer.
32. Penalty not to affect other liabilities.
33. Grants and loans by the Government.
34. Establishment of fund by the Government.
35. Account of the Commission.
36. Annual report of the Commission.
37. Budget of the Commission.

CHAPTER-VII
MISCELLANEOUS

38. Directions by the Government.
39. Protection of action taken in good faith.
40. Members, officers etc. to be public servants.
41. Provisions of the Act to be in addition to and not in derogation of other laws.

42. Power to make rules.
43. Powers of Commission to make regulations.
44. Power to remove difficulties.
45. Overriding effect.
46. Repeal and savings.

**THE HIMACHAL PRADESH WATER CESS ON HYDROPOWER GENERATION
ACT, 2023**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD APRIL, 2023)

AN

ACT

to levy water cess on hydropower generation in the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 10th day of March, 2023.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires;

- (a) “Commission” means the Himachal Pradesh State Commission for Water Cess on Hydropower Generation established under section 18 of this Act;
- (b) “Government” or “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (c) “hydropower” means a renewable source of energy that generates power by using water drawn from any water source flowing within the territory of the State;
- (d) “notification” means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, and the term “notify” shall be construed accordingly;
- (e) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (f) “section” means section of this Act;
- (g) “user” means any person, group of persons, local body, government department, company, corporation, society or anybody, by whichever name called drawing water from any source for generation of hydropower;
- (h) “water” means natural resource flowing in any river, stream, tributary, canal, nallah or any other natural course of water or stipulated upon the surface of any land like, pond, lagoon, swamp or spring;

- (i) “water cess” means the rate levied or charged for water drawn for generation of hydropower and fixed under this Act; and
- (j) “water source” means a river and its tributaries, stream, nallah, canal, spring, pond, lake, water course or any other source from which water is drawn to generate hydropower.

CHAPTER-II
USAGE OF WATER BY INSTALLATION OF HYDROPOWER
GENERATING UNIT

3. Installation of scheme for usage of water.—(1) No user shall draw water from any source for hydropower generation except in accordance with this Act.

(2) No user shall install a scheme requiring usage of water (non consumptive use) of any water source for generating hydropower except without being registered by the Commission in accordance with the provisions of this Chapter.

4. Submission of sanctioned scheme for usage of water by the user.—Any user intending to install a scheme requiring usage of water (non consumptive use) for the purpose of generation of hydropower shall submit detailed project report of the scheme, duly sanctioned by the Director of Energy or Central Electricity Authority or any other authority as the case may be accompanied with application fee for registration under the Act in the manner as may be prescribed.

5. Acceptance of application.—After receipt of the application from a user, the Commission shall consider the acceptance of the application under this Act.

6. Information to the user.—After the application is accepted by the Commission under section 5, the Commission shall register the scheme and inform the user to,-

- (a) execute an agreement in such a form and manner with the Commission as may be prescribed; and
- (b) pay water cess as fixed under Chapter-IV of this Act.

7. Registration for usage of water.—No person shall install a scheme, requiring usage of water or in any other way use the water, unless he is authorised to do so by a registration certificate, issued under section 8.

8. Grant of registration certificate.—An user intending to use water (non consumptive use) for generation of hydropower shall be issued a registration certificate after the execution of an agreement between the user and the Commission under this Act.

9. Registered user not to do certain things.—No registered user shall without prior approval of Commission,-

- (a) undertake any transaction to acquire by purchase or takeover or otherwise, the utility of any other user; or

- (b) merge his utility with the utility of any other user; or
- (c) at any time assign his registration or transfer his utility or any part thereof by sale, lease, exchange or otherwise.

10. Duties, obligations and responsibilities of the registered user.—(1) The registered user shall be liable to pay water cess for the water drawn for hydropower generation as per the provisions of this Act.

(2) Where any user has constructed a hydropower scheme, for the purpose of generation of hydropower, prior to the commencement of this Act, such user shall, within a period of one month from the date of commencement of this Act, apply for registration and the Commission shall pass an order to register the user within a period of one month from the date of receipt of application in accordance with the provisions of this Act.

(3) If the user as mentioned in sub-section (2) fails to apply for registration within time stipulated therein, the Commission shall forthwith impose water cess without registration on the basis of data of water usage provided by the Directorate of Energy, Himachal Pradesh from the date of commencement of this Act alongwith suitable penalty which may extend to rupees ten lakh and in case of prolonged default with additional fine which may extend to rupees five thousand for every day.

(4) Every registered user shall be under an obligation to ensure the safety of the life and property of inhabitants of the area by the operation of the scheme.

(5) Every registered user shall be bound to allow the Commission or any other officer authorised by the Commission to have an access at any time to the scheme for their satisfaction with regard to compliance of the provisions of this Act.

11. Control and safety provisions.—The Commission may, by notice in writing given to the user require him to cause periodic inspection carried out by an expert, to the satisfaction of the Commission and in accordance with the procedure and at such intervals, as the Commission may specify, for the scheme.

CHAPTER-III

ASSESSMENT OF WATER DRAWN BY USER

12. Assessment of water drawn by user.—(1) The Commission shall install or cause to be installed flow measuring device as per the specifications approved by the Commission within the premises of scheme or at such other place where the Commission deems fit for measuring the water drawn for hydropower generation or may adopt any indirect method for assessment of water drawn by the user.

(2) The expenditure incurred on such installation shall be payable by the user.

13. Damaging the flow measuring device or any fitting.—No person shall wilfully damage or cause to be damaged, any water measuring device or any of the fittings of the device. The user shall be responsible to replace the damaged device forthwith at his own cost failing which penalty of rupees fifty thousand shall be imposed on such user.

14. Fraud in respect of flow measuring devices.—No person shall fraudulently or dishonestly,-

- (a) alter the index of any flow measuring device or prevent any device from recording the actual quantity of water supplied; or
- (b) extract or draw water before it has been recorded by the measuring device set up for the purpose of recording the same; or
- (c) tamper the measuring device, install or use a tampered device; or
- (d) use any other device or method which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of water supplied.

CHAPTER-IV

WATER CESS

15. Fixation of water cess.—(1) The user shall be liable to pay the water cess at such rates as the Government may, by notification fix in this behalf.

(2) The State Government may review, increase, decrease or vary the rates of the water cess fixed under this section from time to time in the manner it deems fit.

16. Recovery of water cess.—The Commission shall recover water cess as per the rates fixed by the State Government from every user whenever water is drawn by a user for generation of hydropower.

17. Procedure for assessment.—(1) The assessment of water drawn by the user for hydropower generation and computation of water cess thereof, shall be carried out by the Commission.

(2) The user shall pay the water cess as assessed under sub-section (1) within such time as may be specified by the Commission.

(3) If any user fails to pay water cess due on him, penalty shall be imposed on the user as determined by the Commission. The user has to pay water cess along with penalty within extended time as may be prescribed.

CHAPTER-V

STATE COMMISSION

18. Establishment of the Commission.—(1) The Government may, by notification, establish Commission to be known as the State Commission for water cess on hydropower generation to exercise the powers and to discharge the functions under this Act:

Provided that till the Commission is established under this section, the Secretary (Jal Shakti Vibhag) to the Government of Himachal Pradesh may exercise the powers and discharge the functions of the Commission.

(2) The Commission established under sub-section (1) shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire,

hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and may, by the said name, sue or be sued.

- (3) The head office of the Commission shall be at Shimla.
- (4) The Commission shall consist of a Chairperson and not more than four members.
- (5) The Chairperson and members of the Commission shall be appointed by the State Government on the recommendations of a Search Committee referred to in sub-section (1) of Section 20.

19. Qualifications for appointment of Chairperson and members of the Commission.—(1) The Chairperson shall be appointed from amongst persons who are either holding or have held a post not below the rank of the Secretary to the State Government.

(2) The members of the Commission shall be persons of ability, integrity and standing who have relevant experience of fifteen years and above in the field of engineering, finance, commerce, economics, law or management:

Provided that at least one member shall be from amongst the persons who are either holding or have held a post not below the rank of Chief Engineer or equivalent and having qualification and experience in the field of Hydropower Engineering.

- (3) The Chairperson or any member of the Commission shall not hold any other office of the profit.
- (4) The Chairperson shall be the Chief Executive Officer of the Commission.
- (5) The Commission shall have appropriate structure underneath for support as may be prescribed by the Government.

20. Constitution of Search Committee.—(1) The Government shall, for the purposes of selecting the Chairperson and members of the Commission, constitute a Search Committee consisting of,-

- | | |
|---|--------------|
| (a) Chief Secretary | Chairperson; |
| (b) Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh | Member; |
| (c) Secretary (MPP and Power) to the Government of Himachal Pradesh | Member; |
| (d) Secretary (Jal Shakti) to the Government of Himachal Pradesh | Member; and |
| (e) Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh | Member. |

(2) The Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or member and six

month before the superannuation or end of the tenure of the Chairperson or a member, make a reference to the Search Committee for filling up of the vacancy.

(3) The Search Committee shall finalize the selection of Chairperson or the members within two months from the date on which the reference is made to it.

(4) Before recommending any person for appointment as Chairperson or member, the Search Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his function as such Chairperson or member.

21. Term of office and conditions of service.—(1) The Chairperson and other members shall hold office for a term of three years from the date on which they enter upon their office:

Provided that no Chairperson or member shall hold office after attaining the age of sixty five years.

(2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and the members shall be such as may be prescribed:

Provided that the salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and the members shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

(3) The Chairperson and members shall, before entering upon their office, make and subscribe to an oath of office and secrecy in such form and manner and before such authority as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Chairperson or a member may relinquish his office by giving in writing to the Government a notice of not less than three months.

(5) The Chairperson or any member ceasing to hold office as such shall,-

- (a) not be eligible for further appointment under the Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office; and
- (b) not accept any commercial employment in the projects or scheme etc. relating to generation of hydropower.

22. Removal of Chairperson or member.—(1) The Chairperson or the member shall cease to hold his office as such if he,-

- (a) has been adjudged as insolvent by the competent Court; or
- (b) has been convicted of an offence by the competent Court; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function in the Commission.

(2) Where a question arises as to if the Chairperson or the member has become physically or mentally incapable of acting as such or has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function in the Commission, the decision in this regard shall be taken by the Government and shall be final.

(3) The Government may suspend the Chairperson or any member of the Commission if in the opinion of the Government there are just and sufficient reasons to suspend the Chairperson and the member and the proceedings for his removal have been initiated:

Provided that no such order shall be passed without offering an opportunity of being heard against whom such order is proposed to be passed.

23. Officers and other employees of the Commission.— (1) The Commission shall have a Secretary to exercise such powers and perform such duties under the control of the Chairperson, as may be prescribed.

(2) The Secretary shall be appointed by the Government.

(3) The number, nature and categories of other officers and employees required to assist the Commission, to discharge its functions, shall be such as may be prescribed.

(4) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of the service of the Secretary, officers and other employees shall be such as may be prescribed.

(5) The Commission may engage the engineers and other staff of State Government to assess the water drawn by users and other technical activities to assist the Commission to discharge its functions on such terms and conditions as may be prescribed.

CHAPTER-VI

POWERS, FUNCTIONS AND ACCOUNTS OF THE COMMISSION

24. Functions of the Commission.—The Commission shall discharge the following functions, namely:—

- (a) enforce the decisions and orders issued under the Act;
- (b) adjudicate upon the disputes regarding water cess;
- (c) ensure transparency while exercising the powers and discharging its functions;
- (d) establish a system of enforcement, monitoring and measurement of water drawn for hydropower generation; and
- (e) such other functions as may be prescribed.

25. Powers of the Commission.—(1) The Commission for the purpose of making an inquiry or initiating any proceedings under this Act, shall have the same powers as are

vested in a Civil Court, under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) discovery and production of any document or other material object capable of being produced as evidence;
- (c) receiving of evidence on affidavits;
- (d) requisition of any public record;
- (e) issuing commission for examination of witnesses;
- (f) reviewing its decisions, directions and orders; and
- (g) any other matter which may be prescribed.

(2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter before it, as it may consider appropriate.

(3) The Commission may authorize any person, as it may deem fit, to represent the interest of the registered users in the proceedings before it.

26. Proceedings before the Commission.—All proceedings before the Commission shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193, 214 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and the Commission shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of Section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

27. Power of entry and seizure.—The Commission or any Gazetted Officer, specially authorized in this behalf by the Commission, may enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry may be found, and may seize any such document or take extracts of copies therefrom subject to the provisions of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

28. Delegation of powers.—The Commission may, by general or special order in writing, delegate to the Chairperson, any member, Secretary, officer of the Commission or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act, except the powers to adjudicate disputes under section 24 and the powers to make regulations under section 43 as it may deem necessary.

29. Penalty for non-compliance of directions of Commission.—The Commission, on receiving a complaint or otherwise, is satisfied that any user has contravened any of the provisions of this Act or the rules or regulations or any direction issued by the Commission it may after giving such user an opportunity of being heard, by order in writing, direct that, without prejudice to any other penalty to which he may be liable under the Act, such user shall pay, by way of penalty, such amount which may extend to rupees ten lakh and in case of

continuous default with additional fine which may extend to rupees five thousand for each day from the date of such order.

30. Power to adjudicate.—(1) For the purpose of adjudicating disputes under this Act, the Commission shall appoint any of its members to be an adjudicating officer for holding an inquiry in such manner as may be prescribed after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty.

(2) While holding an inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or produce any document which, in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person has failed to comply with any provision of this Act, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of this Act.

(3) Any person aggrieved by an order under sub-section (2) may, within thirty days of the order, prefer an appeal before the Commission:

Provided that the Commission shall not pass any order against any party without affording an opportunity of being heard:

Provided further that the member so appointed under sub-section (1) above shall not be a part of Bench of Commission before such appeal is filed.

(4) The order passed by the Commission shall be final.

31. Factors to be taken into account by adjudicating officer.—While adjudicating the quantum of penalty under section 29, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:—

- (a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default; and
- (b) the repetitive nature of the default.

32. Penalty not to affect other liabilities.—The penalties imposed under this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other liability in respect of payment of compensation.

33. Grants and loans by the Government.—The Government may, after due appropriation made by State Legislature in this behalf, make to the Commission grants and loans of such sums of money as the Government may consider necessary.

34. Establishment of fund by the Government.—(1) There shall be constituted a fund, to be called the Water Cess on Hydropowers Generation Commission Fund and the following sums shall be credited thereto,-

- (a) any grants or loans made to the Commission by the Government;
- (b) all fees received by the Commission under this Act; and

- (c) all sums received by the Commission from such other sources as may be notified upon by the Government.
- (2) The fund shall be applied for meeting,-
 - (a) the salary, allowances and other remuneration of Chairperson, members, officers and other employees of the Commission;
 - (b) the expenses incurred to discharge the functions of the Commission under this Act;
 - (c) the expenses on objects and for the purposes authorised by this Act.
- (3) The Government may prescribe the manner of applying the fund for meeting the expenses specified in clause (b) or clause (c) of sub-section (2).

35. Accounts of the Commission.—(1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed.

(2) The annual accounts and balance sheet of the Commission shall be forwarded to the Government and the Government shall cause the same to be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

36. Annual report of the Commission.—(1) The Commission shall prepare, in such form and by such time as may be prescribed, an annual report giving a summary of its activities during the previous year and copies of the report shall be forwarded to the Government.

(2) A copy of the report received under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

37. Budget of the Commission.—The Commission shall prepare, in such form and by such time, as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimate receipts and expenditure of the Commission and forward the same to the Government.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

38. Directions by the Government.—(1) To discharge its functions, the Commission shall be guided by such directions in the matters of policy involving public interest as may be given by the State Government.

(2) If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the State Government thereon shall be final.

39. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any member, officer or other employee of the Commission or any public servant for anything which is in good faith done or intending to be done under this Act or the rules or regulations framed thereunder.

40. Members, officers etc. to be public servants.—The Chairperson, members, officers and other employees of the Commission while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

41. Provisions of the act to be in addition to and not in derogation of other laws.—The provisions of the Act are in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force in the State.

42. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

43. Powers of Commission to make regulations.—(1) The Commission may, with the prior approval of the Government, make regulations consistent with the Act and the rules made thereunder generally to carry out the provisions of this Act.

(2) All regulations made by the Commission under the Act shall be subject to the condition of previous publication.

(3) Every regulation made by the Commission shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulties:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

45. Overriding effect.—The provisions of this Act shall have an effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other State law for the time being in force.

46. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Water Cess Hydropower Generation Ordinance, 2023 (H.P. Ordinance No. 2 of 2023) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.